

सोशल मीडिया के लिये सेफ हार्बर प्रावधान

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस के समीप टेलीग्राम के CEO पावेल दुरोव को गरिफ्तार कर लिया (बाद में सशर्त जमानत पर रहिा कर दिया गया) जो तकनीकी जवाबदेही (Tech Accountability) में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है

- यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों में तकनीकी अधिकारियों की भूमिका के संबंध में उनकी कंपनियों पर बढ़ती जाँच को उजागर करती है।
- **दुरोव के खिलाफ आरोप:** टेलीग्राम पर मादक पदार्थों की तस्करी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हसिक प्रचार और संगठित अपराध से संबंधित सामग्री के वितरण को सक्षम करने का आरोप है।
 - अधिकारियों ने टेलीग्राम पर आपतजनक सामग्री को नयित्तरित करने के लिये **कानून प्रवर्तन प्रयासों में सहयोग नहीं करने** का आरोप लगाया।
- **सेफ हार्बर नियम:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री के लिये कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं हैं, जब तक कि वे चहिनति आपतजनक सामग्री को हटाने या हल करने के लिये कार्रवाई करते हैं, जिससे मुक्त अभिव्यक्ति को बढ़ावा मलिता है और यह गारंटी मलिती है कि प्लेटफॉर्म पूर्वव्यापी सामग्री परबंधन के लिये ज़मिमेदार नहीं हैं।
 - **संयुक्त राज्य अमेरिका: संचार शालीनता अधिनियम की धारा 230** के तहत **सेफ हार्बर** संरक्षण प्रदान किया गया है, जो प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ता सामग्री के लिये उत्तरदायी होने से बचाता है।
 - **भारत: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79** समान सुरक्षा प्रदान करती है।
 - **सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021** के अनुसार 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा, जिसे नषिकासन अनुरोधों या अन्य वनियमों का अनुपालन न करने पर आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

और पढ़ें: [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A](#), [डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक 2022](#), [नए IT नियम 2021](#)